



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
दायर तारीख 11.09.2017 (10.08.2013)

वादपत्र संख्या 38/2017 (41/2013)

अनवान्

1. केलीबाई पत्नि घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र 58 साल व्यवसाय घर गृहस्थी निवासी डोबिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. ज्ञानमल पिता गोदपुत्र घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र 35 साल व्यवसाय खेती निवासी डोबिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. प्रभुलाल पुत्र भेरूलाल जाति धाकड़ उम्र 64 साल व्यवसाय खेती निवासी डोबिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... वादीगण

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर चारभुजा ग्राम लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ नाबालिग मार्फत संरक्षक
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य - विद्वान अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री जगदीश धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88-188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक : 09 / 04 / 2026

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य वादपत्र अर्न्तगत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या एक का ग्राम लक्ष्मीनिवास में स्थापित सार्वजनिक पूजा स्थल होकर जिसमें चारभुजा ठाकुर जी कि मूर्ति स्थापित है। माफीदार ठाकुर जी चारभुजाजी से जुड़ी उनकी कृषि खातेदारी भूमि मौजा लक्ष्मीनिवास में स्थित है। वादीगण के पूर्वजों द्वारा प्रतिवादी संख्या एक की खातेदारी में दर्ज भूमि गत बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 212 जिसका रकबा 16 बिस्वा के कुछ बिस्वा पर काश्त की जाती थी जिसके बदले में खातेदारी भूमि में उपज का 1/3 हिस्सा मन्दिर में भेट स्वरूप दिया जात था शेष 2/3 हिस्सा वादीगण के पूर्वजों के परिवार के सदस्यों द्वारा उपयोग उपभोग किया जाता था वादीगण के पूर्वजों द्वारा भूमि का रख रखाव करने के अतिरिक्त भूमि उन्नत व विकसित समय समय पर किया गया जिसमें उन्होंने अपनी अंग महनत एवम आर्थिक लागत वादग्रस्त काश्त भूमि पर लगायी। गत 1 बन्दोबस्त में वादग्रस्त जायदाद खसरा नम्बर 212 आंशिक के नये बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 324 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा दर्ज अभिलेख हो वर्तमान में वादीगण के कब्जे काश्त में चले आ रहे हैं। जिनके द्वारा न केवल रख रखाव किया जा रहा है अपितु उस पर आर्थिक लागत भी लगायी जा रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15 अक्टूबर 1955 को सम्पूर्ण राजस्थान में लागू किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आते ही जागीरदार एवम माफीदारों की खातेदारी समाप्त की जाकर काबिज काश्तकारान को उनके कब्जे वाली भूमि की खातेदारी दे दी गयी। इसी क्रम में जिन काबीजदारों ने समय पर आवेदन कर माफीदार व जागीरदार के नाम हटवा भूमि अपने नाम पर नही करवायी उनको इस क्षेत्र में हुये बन्दोबस्त के समय रेकर्ड व कब्जे की विधि के परिपेक्ष में जांच कर भूमि की खातेदारी काबिजदारों को प्रदान कर दी गयी। इसी क्रम में आराजी खसरा नम्बर 324 रकबे 1 बीघा 1 बिस्वा की खातेदारी वादीगण के पूर्वजों को प्राप्त हो गयी तभी से भूमि उनके नाम पर दर्ज खाता अभिलेख चली आ रही थी और वादीगण प्रतिवादी संख्या एक को उपज की दी जाने वाली हिस्सेदारी भी बन्द हो चुकी है। वादीगण पूर्व खातेदार भेरूलाल पुत्र घीसीलाल के पुत्र घीसीलाल व प्रभुलाल हुये जिनके हम वादीगण वारिस हैं।



लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

जो खातेदारी अधिकार जागीदारी व माफीदारी समाप्ती के पश्चात काबिज काश्तकारों को विधि के अनुसार दिये गये वे अधिकार किसी विधि से अब तक समाप्त नहीं किये गये हैं। प्रतिवादी संख्या 01 के सरकार की वर्ष 1992 में जारी विज्ञप्ति जिसमें मूर्ति के नाम पर दर्ज रही भूमि को मूर्ति के नाम पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। उसका बिना अध्ययन किये व विज्ञप्ति का आशय समझे बिना तौर पर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की अनदेखी करते हुये तत्कालीन खातेदारों की खातेदारी को समाप्त प्रतिवादी संख्या एक की खातेदारी में वादग्रस्त खसरा नम्बर वाली भूमि को दर्ज अभिलेख कर दिया जो अयोग्य व शून्य है। वादीगण के वेध खातेदारी अधिकारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। वादीगण अपने खातेदारों के पश्चात आज भी वादग्रस्त खसरा नम्बर के खातेदार होकर जरिये काश्त के उनका कब्जा है। वर्ष 1992 में मूर्ति की खातेदारी में दर्ज अभिलेख रही भूमि को वापस उसी के नाम दर्ज करने की जो विज्ञप्ति जारी की गयी उसका आशय केवल इस सीमा तक लागू था जो ऐसे मामले थे - (अ) कि मूर्ति के साथ भूमि पुजारी या सरबराकार का नाम दर्ज अभिलेख है तो उसको हटाया जाकर केवल मूर्ति के नाम पर दर्ज अभिलेख की जाये। (ब) कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात मूर्ति के साथ भूमि दर्ज अभिलेख ने बिना किसी अधिकार के विधि विरुद्ध अधिकारों का उपयोग करते हुये नाबालिग अभिलिखित खातेदार ने बिना किसी अधिकार के विधि विरुद्ध अधिकारों का उपयोग करते हुये नाबालिग मूर्ति की भूमि को विक्रय कर दिया है तो वह अवैध रूप से दर्ज किये गये अन्तरण को शून्य माना जाकर मूर्ति की भूमि को पुनः मूर्ति के नाम पर दर्ज अभिलेख की जावे। क्योंकि पुजारी अथवा सरबराकारों को मूर्ति की भूमि को पुनः मूर्ति के नाम पर दर्ज अभिलेख करने का कोई अधिकार नहीं था। पुजारी एवम सरबराकारों ने अपने नाबालिग मूर्ति की भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। पुजारी एवम सरबराकारों ने अपने मूर्ति लाम के लिए केवल पूजा व प्रबन्धन के कार्य का दुरुपयोग करते हुये भूमि विक्रय कर दी किन्तु माफीदार की भूमि पर काश्त करने वालों के लिए वर्ष 1992 की विज्ञप्ति लागू नहीं थी क्योंकि काबिजदारान काश्तकारों को खातेदारी अधिकार By Opiration of Law प्राप्त हुये। विधि की कियान्वती में दी गयी खातेदारी को राज्य सरकार की जारी विज्ञप्ती 1992 की परिधि में नहीं आने से वादग्रस्त जायदाद बाबत तत्कालीन खातेदारों की समाप्ती की गयी खातेदारी अवैध व शून्य है इसलिए वादीगण को पुनः वादग्रस्त जायदाद खसरा नम्बर 324 रकबे 1 बीघा 1 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना विधि अनुमूल है। वादीगण के पूर्वज वादग्रस्त जायदाद पर निर्विवाद रूप से काबिज रह जरिये काश्त के कृषि भूमि का उपयोग करते रहे हैं वादीगण के पूर्वजों के पश्चात वादीगण का वादग्रस्त जायदाद पर साधिकार जरिये काश्त के कब्जा है जिसे किसी भी स्थिति में नहीं हटाया जा सकता वादीगण को जरिये काश्त के भूमि के उपयोग उपभोग का अधिकार है किसी प्रकार का हस्तक्षेप या कब्जे हटाने का प्रतिवादी न0 2 का प्रयास अनुचित है। प्रतिवादी संख्या दो द्वारा राजस्व अभिलेखों में वादग्रस्त जायदाद को खातेदारी अधिकारों सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों में बदलाव की कोई जानकारी वादीगण अथवा उनके पूर्वजों को नहीं दी गयी न ही समुचित सुनवायी का अवसर दिया गया सीधे ही प्रतिवादी संख्या 2 एवम उसके अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षकों ने यह परिवर्तन किये। दिनांक 15-2-2013 को वादीगण को यह जानकारी हुयी कि उनके कब्जे वाली भूमि से उनका कब्जा हटाया जा रहा है क्योंकि काफी अर्सा पूर्व ही भूमि को प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर दर्ज कर दिया गया है तो वादीगण ने राजस्व अभिलेखों का अवलोकन करवाया और पिछले रेकार्ड की जांच करवायी तो जानकारी हुयी कि वर्ष 1992 की विज्ञप्ती को कियान्वती में वादग्रस्त जायदाद की खातेदारी समाप्त की जाकर भूमि को प्रतिवादी संख्या एक के नाम तत्कालीन समय के अभिलिखित खातेदारों का नाम हटाया जाकर दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या दो को खातेदार के विरुद्ध पारित किसी आदेश को लागू करने से पूर्व सुना जाना आवश्यक था। दिनांक 18-2-2013 को प्रथम बार वादीगण से सम्बन्धित उनके पूर्वजों की खातेदारी को समाप्त करने व और निरन्तर उनके वारिसों के नाम पर भूमि दर्ज नहीं करने की जानकारी होने से बिनायदाव उत्पन्न हो जारी है।

वादीगण अनुतोष चाहते हे कि (अ) लक्ष्मीनिवास स्थित वर्तमान आ०न० 324 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा से प्रतिवादी संख्या एक की खातेदारी समाप्त की जाकर वादीगण को वादग्रस्त जायदाद का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी जावे। (ब) वादीगण को वादग्रस्त जायदाद पर काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। (स) अन्य अनुतोष उचित वादपत्र हो बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मथ नकल वादपत्र भेज करवायी गयी। प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता जगदीश धाकड़ को वादमित्र बनाया गया।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 01 की ओर से वादमित्र अधिवक्ता जगदीश धाकड़ ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। जवाब के विशेष कथन एवं काउन्टर क्लेम में अंकित किया कि देवता मन्दिर मूर्ति शास्त्रों नाबालिग होते हे इस कारण मन्दिर की भूमि पर उप-कृषक को या काश्त करने

को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। वादीगण को दौराने भू-प्रबन्ध अधिकारी ने मन्दिर मूर्ति चारभुजा जी की कृषि भूमि में बिना न्यायालय के आदेश एवं क्षेत्राधिकार से परे जाकर खातेदारी दिये जाने का अंकन किया गया जो प्रारम्भतः अवैध व शून्य है। जिससे वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुये उक्त चुट्टि को राज्य सरकार ने सन् 1992 में विज्ञप्ति जारी कर दुरुस्त कर दिया जो विधि एवं प्रमाणानुसार है। वादग्रस्त भूमि मन्दिर मूर्ति चारभुजा जी की है जिससे होने वाली पैदावार मूर्ति के राजभोग का काम में आती है। वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध एवं वास्ता नहीं है। दौराने वादीगण गत बन्दोवस्ती आराजी नम्बर 212 जो मन्दिर मूर्ति प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज थी को नवीन प्रबन्ध में आराजी नम्बर 324 दर्ज कर वादीगण के पूर्वजों के नाम गलत तरीके से दर्ज करने का आदेश दिया जिसकी जानकारी प्रतिवादी नम्बर 1 को कभी नहीं हो सकी एवं सन् 1992 के राज्य सरकार के आदेशों द्वारा उसकी दुरुस्ती की गई है। चूंकि दौराने भू-प्रबन्ध उक्त अंकन सेवन से हुआ है। जिसे पुनः प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज किये जाने हेतु घोषणात्मक डिक्री प्रतिवादी संख्या 1 जरिये काउन्टर क्लेम नाम दर्ज है। वैकल्पिक रूप से निवेदन है कि राज्य सरकार की विज्ञप्ति व आदेश 1992 के तहत पुनः मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज किये आदेश को यदि न्यायोचित नहीं भी माना जाता है तो प्रतिवादी नम्बर 1 जरिये काउन्टर क्लेम इस आशय की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है कि भू-प्रबन्ध विभाग ने वर्तमान आराजी नम्बर 324 प्रतिवादी के नाम से हटाकर वादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज करने का आदेश दिया वह गलत व शून्य होकर उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार व स्वामित्व की भूमि है।

वादीगण ने वादपत्र के साथ वादीगण केली, ज्ञानमल, प्रभुलाल का शपथ पत्र संलग्न किया। फोटो प्रति मिलान खसरा मौजा लक्ष्मीनिवास, फोटोप्रति जमाबन्दी मेवाड़ महकमह बन्दोबस्त, प्रमाणित प्रति वाद इखलाफ इन्द्राज खसरा मौजा लक्ष्मीनिवास, प्रमाणित प्रति नकल जामाबन्दी मौजा मौजा लक्ष्मीनिवास की पेश की जो शामिल पत्रावली हैं।

उक्त वादपत्र में निम्न वाद बिन्दु (तनकीयात) कायम की गयी।

(1) आया मौजा लक्ष्मीनिवास स्थित कृषि भूमि जिसका विवरण वादपत्र की चरण सख्या तीन मे दिया गया वह माफीदार चारभुजा मन्दिर की खातेदारी मे दर्ज है जागीरदारी प्रथा समाप्ती के पश्चात वादीगण के पूर्वजो व उनके बाद वादीगण के कब्जे के बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पश्चात वादीगण वादग्रस्त खसरा नं० 324 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा की खातेदारी पाने के अधिकारी है।
..... वादीगण

(2) आया जागीर रिज्यूम एक्ट 1952 के पश्चात व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू हो जाने से जागीर था माफीदार की भूमि पर काबिज काश्तकार को खातेदार घोषित किया जाना विधि सम्मत है।
..... वादीगण

(3) आया वादीगण वादग्रस्त जायदाद पर साधिकार काश्त करते रहने के अधिकारी हो प्रतिवादीगण के विरुद्ध की जाने वाली बेदखली के विरुद्ध निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है।
..... वादीगण

(4) आया प्रतिवादी सख्या एक शाश्वत स्थाई रूप से अवयस्क होने से उनकी खातेदारी भूमि की अन्य को खातेदारी प्रदान नही की जा सकती है।
..... प्रतिवादीगण

(5) आया वादग्रस्त जायदाद मन्दिर के रख रखाव व सेवा पूजा मे होने वाले व्यय का स्रोत होने से उसे समाप्त करने के लिए अन्य को खातेदारी प्रदान नही की जा सकती है।
..... प्रतिवादीगण

(6) आया बन्दोबस्ती विभाग द्वारा वादीगण अथवा उनके पूर्वजो को प्रदान की गयी खातेदारी अवैध होने से उसका कोई विधिक प्रभाव नही है। प्रतिवादी न० एक के नाम राज्य सरकार के आदेश से खातेदारी मे दर्ज किया जान वैध है।
..... प्रतिवादीगण

(7) अनुतोष क्या होगा।



संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पत्रावली में साक्ष्यवादी में PW-1 ज्ञानमल पुत्र घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र 50 वर्ष पेशा कृषि
 डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा, PW-2 भगवानलाल पुत्र किशोर जाति धाकड़ उम्र 58
 पेशा कृषि निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा के बयान लिये गये जो शामिल
 पत्रावली हैं।

अधिवक्ता वादी द्वारा साक्ष्यवादी में ओर किसी गवाह के बयान नहीं कराये जाने पत्रावली को साक्ष्य
 वादीगण में रखा गया।

वादित्र अधिवक्ता प्रतिवादी सं० 1 ने दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी में ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल
 जमाबन्दी संवत् 2073-76 प्रतिलिपि पेश की जो प्रदर्श डी-1 हैं। ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल जमाबन्दी
 संवत् 2069 पेश की जो प्रदर्श-2 हैं। ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल जमाबन्दी संवत् 2028-2031 पेश की जो
 डी-3 हैं। ग्राम लक्ष्मीनिवास की नकल जमाबन्दी संवत् 2045-2048 की फोटो प्रतिलिपि पेश की जो
 डी-4 हैं जो शामिल पत्रावली हैं।

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 बुद्धि प्रकाश पिता छितरलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष पेशा नौकरी
 निवासी हाल मु. प0ह0 गोपालपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा के बयान लिये गये जो शामिल
 पत्रावली हैं।

साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 बुद्धि प्रकाश पिता छितरलाल जाति गुर्जर उम्र 30 वर्ष पेशा नौकरी
 निवासी हाल मु. प0ह0 गोपालपुरा तहसील बिजौलियां ने अपने बयान में लिखाया कि मैं वर्तमान में पटवार
 हल्का गोपालपुरा में पटवारी के पद पर कार्यरत हूं। वर्तमान में राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2073-2076
 अनुसार ग्राम लक्ष्मीनिवास के खाता संख्या 163 पर अंकित आराजी नम्बर 320, 321, 322, 323, 324, 328,
 329, 332 कुल किता 8 रकबा 0.73654 हैक्टेयर भूमि श्री चारभुजा जी स्थान देह खातेदार के नाम दर्ज
 रेकॉर्ड हैं। जिसकी जमाबन्दी ई. हस्ताक्षरित ऑनलाईन जमाबन्दी की प्रति पेश की जो प्रदर्शानुसार हैं।
 प्रस्तुत रेकॉर्ड में वादीगण का कही पर भी नाम अंकित नहीं हैं। वादगस्त जमीन श्री चारभुजा जी स्थान देह
 के नाम दर्ज रेकॉर्ड हैं।

पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी एवं बहस पर मन
 किया। साथ में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्व रेकॉर्ड में भूमि विपक्षीगण के
 नाम दर्ज हैं। वादीगण के नाम भूमि दर्ज नहीं होने से एवं भूमि पर कब्जा वादीगण का नहीं होने से प्रस्तुत
 वादपत्र वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः पत्रावली में सभी तथ्यों को
 ध्यानमें रखते हुए दावे में आदेश दिए जाते हैं कि :-

—:: आदेश ::—

वादपत्र वादीया अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाकर
 आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम लक्ष्मीनिवास स्थित वर्तमान आ०न० 324 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के
 सम्बन्ध में प्रस्तुत वादीगण के वाद को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता हैं। उक्तानुसार डिक्री
 किया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।
 आदेश आज दिनांक 09/04/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय मोहर



(अजीत/सिंह रावौड़)
 उपखण्ड अधिकारी
 बिजौलियां



राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 38 / 2017 (41 / 2013)

दायर तारीख 11.09.2017 (10.08.2013)

अनवान्

1. केलीबाई पत्नि घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र 58 साल व्यवसाय घर गृहस्थी निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. ज्ञानमल पिता गोदपुत्र घीसीलाल जाति धाकड़ उम्र 35 साल व्यवसाय खेती निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. प्रमूलाल पुत्र भेरूलाल जाति धाकड़ उम्र 64 साल व्यवसाय खेती निवासी डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....डिक्रीदार

बनाम

1. मूर्ति मन्दिर चारभुजा ग्राम लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियां नाबालिग मार्फत संरक्षक
2. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 09 / 04 / 2026

डिक्री दिनांक : 09 / 04 / 2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादीगण श्री गिरधारीलाल आचार्य व विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री जगदीश धाकड़ को हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि मौजा ग्राम लक्ष्मीनिवास स्थित वर्तमान आ०न० 324 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा के सम्बन्ध में प्रस्तुत वादीगण के वाद को इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हो।



संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

नीज Nil मुबलिंग Nil बाबत
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर Nil फीस दी सालाना आज की
से तारीख वसूलयाबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 04-वर्ष 2026 को जारी

गया।


(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

मुद्दा	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
महनताना वकील ()	-		महनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत इजराय हुक्मनामा	-		बाबत इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		




(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ